

दूरभाष:-

फैक्स:-

डि-मेल:-

दिनांक:- 07/02/2018

क्रमांक:/392511117/स्कूल आई.डी. - 39535

प्रति,

प्रबंधक,

(Maharishi Vidya Mandir)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के जर्दीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 07/07/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राचातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Maharishi Vidya Mandir, 756, siddha bhawan napier town, jabalpur को कक्षa Nursery से कक्षa 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक बालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ति के अधीक्षीत होगी।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षa 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता को कोई बाधता किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ास की सीमा के बाहर सम्मुख तथा कमज़ोर बगे के बालकों को कक्षa 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रदेश देगा। उस देश में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवालिक बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यव को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम प्रवालिक प्रतिशत के अधीन होगा बहार्ते कि जहाँ स्कूल पव्वे स्कूल (परि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रिस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को प्रवालिक आधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यव को प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसे प्रातपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोलाइटीस्कूल कोई भी केपिटेशन फीस का संबंध नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिभावक के साथ किसी भी अन्याय प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
 - (क) आमु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) नदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा जाए है;
 - (ग) धर्म, जाति या सूलवेश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कालित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को वारीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बांड परीका उत्तीर्ण करने की अवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्राप्तान पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशासिक विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन विस्तारित न्यूनतम सहायता अनुसार शिक्षकों की भ्रती की जाएगी, बहार्ते कि वर्टेल के कार्यक्रम जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ से प्रत्येक न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के वर्टेल होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में विस्तारित न्यूनतम अहता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायबंद टीचिंग की गतिविधियों में शिलाक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल सुनिश्चित प्राप्तिकरी द्वारा विस्तारित पाठ्यवस्था का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का वासानकल किया जाएगा।

*Amrit M*Principal
Maharishi Vidya Mandir
Napier Town, Jabalpur

* स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई जायेंगी-

सुविधाएं

| | | पोटल में दर्जे | वास्तविक स्थिति |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | स्वयं का भवन | स्वयं का भवन |
| 8 | स्कूल के भवन की स्थिति | | |
| 9 | स्कूल का कुल लैट्रफल (बगे फीट में) | 85944 | 85944 |
| 10 | स्कूल का नियमित लैट्रफल (बगे फीट में) | 108263 | 108263 |
| 11 | खेल मंदिर का लैट्रफल (बगे फीट में) | 17800 | 17800 |

अधोसंरचना का विवरण

| | पोटल में दर्जे | | वास्तविक स्थिति | | |
|---|--|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| | Rooms as per SITE | संख्या | भौमत आकार (बगे फीट में) | संख्या | भौमत आकार (बगे फीट में) |
| 1 | कक्षa आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षa कक्षa | 18 | 550 | 19 | 550 |
| 2 | कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 5 | 550 | 3 | 550 |
| 3 | श्रीजनालय-सह-भण्डार | 0 | 0 | 0 | 0 |

अन्य सुविधाएं

| | पोटल में दर्जे | वास्तविक स्थिति |
|----|--|-----------------------|
| 1 | क्षा सभी सुविधाओं तक पहुँच आपा रहत है हाँ/नहीं | हाँ |
| 2 | पठन पाठन सामग्री (हस्तालारित सूची अपलोड करें) | हाँ |
| 3 | खेल क्रूप एवं खेल उपकरण (हस्तालारित सूची अपलोड करें) | हाँ |
| 4 | पुस्तकों की संख्या | 4835 |
| 5 | प्रतिकारों/समाचार पत्र | Tube Well |
| 6 | पंजाल सुविधा का प्रकार | 6 |
| 7 | पंजाल सुविधा की संख्या | Both Indian & Western |
| 8 | शौचालय का प्रकार (भारतीय/पार्श्वीय/नहीं) | 3 |
| 9 | लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | 3 |
| 10 | लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | 3 |
| 11 | विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | 1 |
| 12 | क्षा अन्ति सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं | हाँ |

- लंबे संपरीकृत किए जाएंगे तथा यांडे एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लंबाऊओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपको स्कूल का मान्यता कोड नम्बर.392511117.. एवं डाइसकोड (DISE) 23390223731 है। इस कार्यालय के साथ पञ्चाचार में यह कोड नम्बर संदर्भ संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदंडों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अधिकारी नाम्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तों संलग्न उपांध "लीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

Amrit M
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Napier Town, Jabalpur

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी

जिला JABALPUR

मध्यप्रदेश